

अब पीएनजी कनेक्शन के लिए टारगेट

आवेदन और कनेक्शन की लगातार होगी मॉनीटरिंग संकट के बीच एलपीजी के विकल्प पर दिया जोर



सीजीडी संस्थाओं, ऑयल कम्पनी एवं जिला आपूर्ति अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाएं अगले 3 माह

में दिये जाने वाले पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित करें. साथ ही सीजीडी संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे आवेदन एवं उसके विरुद्ध दिये जा रहे पीएनजी कनेक्शन की सतत मॉनीटरिंग की जाये. एसीएस श्रीमती शमी ने सीजीडी संस्थाओं को पीएनजी के लाभ एवं पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया से संबंधित एफएक्यू तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश नोडल सीजीडी संस्था थिंक गैस को दिये. भारत सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर सीजीडी संस्थाओं को पाइप-लाइन अपलोड करने के निर्देश दिये गये. सीजीडी संस्थाएं जिलेवार एवं

लोकैलिटीवाइज कैम्प शेड्यूल कर जिला प्रशासन एवं विभाग को उपलब्ध करायें. शहर के जिन स्थानों में पाइप-लाइन गई है, उसके आस-पास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ऑयल कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि वह पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिये तत्काल आवेदन करें. इसके बाद पीएनजी कनेक्शन प्राप्त न करने की स्थिति में आगामी 3 माह में एलपीजी का कनेक्शन बंद किया जा सकता है. जिला आपूर्ति अधिकारियों को एम्पीआईडीसी के जिला अधिकारी, जिले में स्थित पॉलीटेक्निक तथा आईटीआई से

पीएनजी कनेक्शन विस्तार पर जोर

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रदेश में कार्यरत 10 संस्थाओं को पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की मांग और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है. पीएनजी पाइप लाइन जिन क्षेत्रों में बिछ चुकी है, वहां आवासीय परिसर, स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज, कम्युनिटी किचन और आंगनवाड़ी केंद्रों को आवेदन प्राप्त होने के 5 दिन में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रशिक्षणार्थियों को सूची सीजीडी संस्था को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये. सीजीडी संस्था द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को वर्तमान वेपडर के साथ क्लब कर मैन पॉवर बढ़ाया जाएगा. एसीएस श्रीमती शमी ने कहा कि एलपीजी बुकिंग

करने के बाद कितने दिन में डिलेवरी होगी, इस संबंध में उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजना सुनिश्चित करें. प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाए विभाग : संजय सेमिनार में 44वें उप पुलिस अधीक्षक बैठ के अधिकारियों ने लिया भाग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौरी भोपाल में 1 एवं 2 अप्रैल को कार्यालयीन प्रक्रियाओं, अवकाश नियम, पेंशन, ग्रेज्युटी, लेखा अभिलेख, सेवा पुस्तिका एवं अन्य सेवा संबंधी प्रावधानों पर आधारित दो दिवसीय सेमिनार का सफल आयोजन किया गया.

इस पहल का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गहन एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था. कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण) भोपाल,



संजय तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कार्यालयीन प्रक्रियाओं में शुद्धता और समन्वयबद्धता प्रशासनिक कार्यकुशलता को आधारशिला है. उन्होंने अधिकारियों से नियमों की

इसमापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस विभाग की प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा.

भाग लिया. विशेषज्ञों द्वारा आयोजित सत्रों में अवकाश प्रबंधन, पेंशन, ग्रेज्युटी, सेवा अभिलेखों के संधारण और वित्तीय दस्तावेजों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई.



एनएसयूआई का पोस्टर प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने भोपाल में कथित फर्जी अस्पतालों के बढ़ते मामलों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया.

संगठन ने पोस्टर अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, जो इन अवैध अस्पतालों को संरक्षण दे रहे हैं. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने आरोप लगाया कि शहर में कई अस्पताल नियमों का

उल्लंघन करते हुए कागजों में फर्जी तरीके से डॉक्टरों और स्टाफ का उल्लेख कर संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतों और विरोध के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है. प्रदर्शन के दौरान लगाए गए पोस्टरों में व्यंग्यात्मक संदेश लिखे गए, जैसे 'भोपाल में फर्जी अस्पताल खोलने के लिए संपर्क करें नटू शर्मा' और 'फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट के लिए संपर्क करें टीम नटवरलाल'.

प्रदेश में 4 मौसम सिस्टम सक्रिय 45 जिलों में आंधी-बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट

भोपाल, 04 मार्च. मध्य प्रदेश में इस समय मौसम ने अचानक करवट ले ली है. एक साथ चार अलग-अलग मौसम सिस्टम सक्रिय होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है.

मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति 7 अप्रैल तक बनी रह सकती है, जिससे लोगों और किसानों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है. दरअसल, प्रदेश में दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) और दो



टर्फ लाइन सक्रिय हैं. एक टर्फ लाइन प्रदेश के बीचोंबीच गुजर रही है, जबकि दूसरी ऊपरी स्तर पर बनी हुई है. इसके साथ ही पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में चक्रवाती गतिविधियां भी जारी हैं. इन सभी सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से पिछले कुछ दिनों से मौसम

लगातार अस्थिर बना हुआ है और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिर रहे हैं. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए लगभग 45 जिलों में अलर्ट जारी किया है. इनमें भोपाल, ग्वालियर समेत कई बड़े जिले शामिल हैं.

जबलपुर, कटनी, छतरपुर, पन्ना और दमोह में ओलावृष्टि की विशेष चेतावनी दी गई है. इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार भी काफी तेज रहने की आशंका है. कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आंधी चल सकती है, जबकि अन्य स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. इस कारण पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है. 7 अप्रैल के बाद एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिससे 10 अप्रैल तक हल्की मौसम गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इसके बाद जैसे ही मौसम साफ होगा, तापमान तेजी से बढ़ेगा.

डायल-112 कर्मियों की त्वरित कार्रवाई घायल व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता कराई गई उपलब्ध

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. इंदौर जिले में डायल-112 कर्मियों की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई से रात्रि गश्त के दौरान घायल अवस्था में मिले एक व्यक्ति को समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई.

यह घटना 4 अप्रैल को थाना तेजाजी नगर क्षेत्र के अंतर्गत केलोद फाटा के पास हुई. नियमित गश्त के दौरान एफआरवी स्टाफ ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा. इसकी सूचना तुरंत राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को दी गई, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई



शुरू की गई. तत्परात दिखाते हुए आरक्षक मोहन मालवीय और आरक्षक आशीष पालीवाल तथा पायलट मोहित जाट ने घायल व्यक्ति को बिना किसी देरी के एफआरवी वाहन के माध्यम से एम.वाय. अस्पताल, इंदौर पहुंचाया. डायल-112 टीम की सतर्कता

और मानवीय दृष्टिकोण के कारण घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सका. यह घटना 'डायल-112 हीरोज' पहल के तहत मध्यप्रदेश पुलिस की आमजन की सुरक्षा, आपातकालीन सहायता और नागरिक सेवा के प्रति चौबीसों घंटे प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

आरपीएफ ने सुरक्षा और सहायता में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की

भोपाल, 4 अप्रैल. पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल मंडल के अनुसार, वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान रेल सुरक्षा बल ने यात्रियों और रेल संपत्ति की सुरक्षा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं.

आरपीएफ ने चौबीसों घंटे सतर्क रहकर सुरक्षित माल परिवहन के साथ-साथ यात्रियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान की. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 720 बिछड़े, घर से भागे या अपहृत बच्चों को सुरक्षित उनके परिवारों या चार्ल्ड लाइन को सौंपा गया. ऑपरेशन अमानत में 973 यात्रियों को लगभग 2.88 करोड़ मूल्य का

खोया सामान वापस किया गया. ऑपरेशन जीवन रक्षा के अंतर्गत 33 लोगों की जान बचाई गई, जबकि ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत प्रतिदिन औसतन 110 ट्रेनों में महिला यात्रियों को सहायता दी गई. रेल अधिनियम के तहत 53,566 मामलों में कार्रवाई कर 73.81 करोड़ जुर्माना वसूला गया. ऑपरेशन उपलब्ध में 64 लोगों को गिरफ्तार कर 52 लाख से अधिक मूल्य के ई-टिकट जब्त किए गए. अनाधिकृत ब्रेडरों के खिलाफ 18,166 मामलों में कार्रवाई कर 2.20 करोड़ जुर्माना वसूला गया. रेल संपत्ति चोरी के 328 मामलों में 635 आरोपियों को गिरफ्तार कर संपत्ति बरामद की गई.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर संविदा अधिकारी बर्खास्त

सिवनी, 04 अप्रैल. जिले की जिला पंचायत में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए परियोजना अर्थशास्त्री (संविदा) वंदना मुड़िया को सेवाएं 16 वर्षों बाद समाप्त कर दी गई हैं.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजली शाह द्वारा की गई है. मामले में संबंधित के खिलाफ डंडासिवनी थाना में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में पुलिस ने आवेदन वापस कर पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

नाम सुधार सूचना

मैं दीपा नामदेव W/o देवेंद्र नामदेव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पहाडी निरपति सिंह, पो.आ. देरा थाना व तहसील मऊगंज जिला मऊगंज (म.प्र.)। मैं शादी के पूर्व भारतीय जीवन बीमा निगम रीवा क्र. 01 से पालिसी ली थी जिसका नं. 357155425 है। उक्त पालिसी में मेरा नाम दीपावली नामदेव दर्ज है जबकि हमारे सभी रिकार्ड आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में दीपा नामदेव है। अतः सभी रिकार्डों के अनुसार मेरा नाम दीपावली नामदेव के स्थान पर दीपा नामदेव W/o देवेंद्र नामदेव दर्ज किया जाये व पढ़ा जाय।

कार्यालय, नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
क्र./98/स्व.भा.मि./2026 सिंगरौली, दिनांक, 02.04.2026

सर्वजनिक सूचना
(निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उपयोग/बिक्री संबंधी)
नगर पालिक निगम सिंगरौली अंतर्गत समस्त आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम या सरकारी निर्माण गतिविधियों में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट से बनी वस्तुओं (यदि उपलब्ध हो) के उपयोग बिक्री के लिए प्रावधान नियत करते हुए दरें तय की गई हैं:-

- (1) पेवर ब्लॉक/फर्श के ब्लॉक 15.00 रुपये प्रति नग।
- (2) संचरात्मक क्रांकिट-1000.00 रुपये प्रति ट्राली।
- (3) ईटें-1000.00 रुपये प्रति ट्राली।
- (4) निर्मित समुच्चय संबंधी 1000.00 रुपये प्रति ट्राली।

नागरिकों हेतु निकाय द्वारा टोल फ्री नम्बर 7610107107 जारी किया गया है जिसके माध्यम से उक्त सुविधाओं का लाभालाभ जा सकता है।

नोडल अधिकारी
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (2.0)
नगर पालिक निगम सिंगरौली

कार्यालय, नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)
क्र./100/स्व.भा.मि./2026 सिंगरौली, दिनांक 02.04.2026

सर्वजनिक सूचना
(Notified Ban on Manual Hazardous Entry: Without Safety Gear)
नगर पालिक निगम सिंगरौली क्षेत्रान्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक संस्थानों में स्तिथ सेप्टिक टैंक से मल को मैला टैंकर द्वारा सुरक्षापूर्वक संग्रहित किया जाता है एवं इसका निपटान निकाय के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। निकाय द्वारा सर पर मैला ढोने वाली प्रथा एवं बिना सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक स्थानों में मैनुअल एंट्री पाई जाती है तो शत प्रतिशत कानूनी कार्यवाही सहित आर्थिक दंड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। सेप्टिक टैंक की सफाई अनिवार्य रूप से प्रत्येक 3 वर्ष में कवना सुनिश्चित करें और निकाय द्वारा जारी टोल फ्री नम्बर 7610107107 पर संपर्क करें।

नोडल अधिकारी
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (2.0)
नगर पालिक निगम सिंगरौली

गंभीर आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- किसानों के अधिकारों और खाद्य सुरक्षा खतरे में है

एमपी खाद्यान्न उपार्जन प्रणाली में 'लूट': पटवारी

विशेष संवाददाता
भोपाल, 4 अप्रैल. जीतू पटवारी, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ने राज्य की खाद्यान्न उपार्जन, भंडारण और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक संरक्षण के गंभीर आरोप लगाते हुए इसे 'संगठित लूट' करार दिया है, जो किसानों के अधिकारों और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रही है.

उन्होंने दावा किया कि रायसेन जिले के वेयरहाउसों में लगभग 20,000 मीट्रिक टन

35 करोड़ से खरीदा गया था 20,000 मीट्रिक टन गेहूं

4 वर्षों में प्रदेश में 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं सड़ चुका

गेहूं, जिसे 35 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा गया था, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया. रखरखाव और कीटनाशक के नाम पर इसकी लागत 150 करोड़ रुपये तक पहुंचा दी गई. 34 बार छिड़काव के बावजूद अनाज के खराब हो जाने को

उन्होंने फर्जी बिलिंग और अधिकारियों-ठेकेदारों की मिलीभगत का परिणाम बताया. पटवारी ने कहा कि यह समस्या व्यापक है. पिछले चार वर्षों में प्रदेश में 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं सड़ चुका है, जिससे लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान

जबलपुर और सिवनी में सामने आए 'घोस्ट ट्रांसपोर्ट' घोटाले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 92 प्रतिशत ट्रिप फर्जी थीं, जिनमें स्कूटर जैसे वाहनों से भारी मात्रा में

अनाज ढोने का दावा किया गया.

उन्होंने वेयरहाउस आवंटन में पक्षपात और भुगतान में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया. 26 प्रतिशत से अधिक बच्चों में कुपोषण का हवाला देते हुए उन्होंने स्थिति को गंभीर बताया. कांग्रेस ने मामले की फोरेसिक जांच, आइटन में पारदर्शिता, दोषियों पर अपराधिक कार्रवाई, नुकसान की भरपाई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण की मांग की है.

आम सूचना

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार कीर्ति वैर सिंह तेलम पुत्री स्व० श्री विजय पाल सिंह तेलम निवासी कुंथनगर सतना, जिला सतना MP00 के है जिनके द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है कि संयुक्त परिवार की भूमि ग्राम कोटर तह० कोटर जिला सतना में स्थित आराजी न०-121/2 रकबा-0.786 हे० एवं आराजी न०-122 रकबा-0.797 हे० कुल किता 02 कुल रकबा-1.7668 हे० है जो संयुक्त परिवार की भूमि है उक्त आराजियों का प्रकरण वर्तमान समय में न्यायालय में विवादाधीन है तथा उक्त प्रकरण में जब तक किसी प्रकार का निराकरण नहीं होता है ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति उक्त आराजी का क्रय-विक्रय न करे यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उक्त सूचना उपरांत उक्त आराजी का क्रय-विक्रय किया जाता है तो उक्त सीदा न्यायालय प्रक्रिया द्वारा विक्रय पत्र को निरस्त एवं शून्य कराया जाएगा।

अस्तु क्रय-विक्रय अनुबंध, गहनमाना न कर अन्याय खय जिम्मेदार होंग।
स्थान-सतना, दिनांक-4.4.2026

भवदीय
नारैन्द्र बहादुर सिंह
एडवोकेट
जिला न्यायालय सतना